ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176217 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 मे संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुदेश कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुरजीत कुमार	01.04.2021 से 04.11.2022
2	रिक्त पद	05.11.2022 से 23.11.2022
3	श्री जनम सिंह	24.11.2022 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	01.04.2021 से 28.02.2022
2	श्री संजय कुमार	01.03.2022 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत चड़ी के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	7.10
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	18.28
3	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.60
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
5	8.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर मे स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना।	12.83
6	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	7.57
7	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	1.73
8	8.5	उचित बिल के बिना रसीद पर अनियमित व गलत भुगतान	0.03
9	9	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	19.24

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत चड़ी का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र.स.	पैरा स.	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹6000 की प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	4	निर्णीत	लेखों की पुष्टि उपरान्त
3.	5	अनिर्णीत	—
4.	6	अनिर्णीत	—
5.	7	अनिर्णीत	—
6	8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
7	9	अनिर्णीत	—
8	10	अनिर्णीत	—
9	11 व 11.1	अनिर्णीत	—
10	12	अनिर्णीत	—
11	13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
12	14	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
13	15	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत चड़ी के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री राहुल कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.11.2023 से 15.11.2023 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जॉच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:—

वर्ष	आय	व्यय
2021–22	08/2021	07/2021
2022–23	03/2023	01/2023

अस्वीकरण:–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 8000/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2023/–220 दिनांक 15.11.2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/–215 दिनांक: 06.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021–22	1209333	503217	1712550	519016	1193534
2022–23	1193534	434341	1627875	422360	1205515

2.अनुदान:–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तषेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021–22	1311361	6502554	7813915	5100868	2713047
2022–23	2713047	9492751	12205798	10378152	1827646

कुल योग (1+2) 1205515+1827646 = 3033161

(ख) बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹ 3033161/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹3742898/- से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:-

	बैंक खातों की विवरणी:-			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्व:स्त्रोत,तीसरा वित्त	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	20040016548	855418
2	वी.के.वी.एन.वाई,एस.डी.पी.एम.पी.लेड,वी.एम.जे.एस,एस.के. रिलीफ	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50054877941	477091
3	आई.ए.वाई	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055779715	499
4	ए.ए.वाई	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50051566360	701
5	टी.एस.सी	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055779806	276
6	14वॉं वित्तायोग	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	5051566451	5
7	14वॉं/15वीं वित्तायोग	आई.डी.बी.आई बैंक धर्मशाला	1106104000046996	2408908
8	हस्त गत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग:				₹3742898
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेष:-				₹3033161
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-				₹3742898
अन्तर:-				709737

नोट:- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेषों में ₹7.10 लाख का भारी अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चड़ी द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में

ANNUAL REPORT

दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹709737/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में पाया गया, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2023/218 दिनांक: 14.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15.11.2023 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके तदानुसार अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15)–(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत चड़ी द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदान की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, तीसरा वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों तथा सभा निधि के लिये नियमो एंव निर्देशो के विरूद्ध एक खाता 2040016548 खोला गया था तथा वी.के.वी.एन.वाई.एस.डी.पी.एम.पी.लेड.वी.एम.जे.एस.एस.के.रिलीफ के लिये एक खाता 50054877941 खोला गया था। जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2023/219 दिनांक: 15.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15.11.2023 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों का रख–रखाव नियमानुसार, निर्देशानुसार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ.) लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांक 15/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारे:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹12,09,333 से ₹8,55,418 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांक: 15.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15.11.2023 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹18.28 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–215 दिनांक 06.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹18,27,646/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी:–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	बी.के.वी.एन.वाई,एस.डी.पी,वी.एम.जे.एस,एस.के.रिलीफ	31.03.2023	20065
2	टी.एस.सी	31.03.2023	32982
3	आई.ए.वाई	31.03.2023	472
4	ए.ए.वाई	31.03.2023	697
5	14वाँ वित्तायोग	31.03.2023	10854
6	14वाँ /15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	1762576
7	मनरेगा	31.03.2023	0
		कुल जोड़	₹1827646

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न

होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः उक्त शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 प्राप्त अनुदान के लिये रसीदें जारी न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिये इन नियमों में दिये गये प्रारूप–3 मे रसीद जारी करनी आवश्यक है।

ग्राम पंचायत के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई थी। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म–21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वितीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.60 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां /2023/–215 दिनांकः 15/11/2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निम्न तालिका व **परिशिष्ट–"3"** में दिये गये विवरणानुसार सम्पति कर /गृहकर की मद में ₹ 59750/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही

के प्रति गम्भीर नही है। सम्पति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वितीय वर्ष	अग्रशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	0	1050	50	52500	52500	39150	13350
2022-23	13350	1050	50	52500	65850	6100	59750
नोट:– दिनॉक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹59750/– है।							

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(7.2) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹ 200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. के लिये ₹ 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 19 विवाह पंजीकृत किये गये ,जिस हेतु ₹200/400 की दर से ₹7600 वसूल किये जाने अपेक्षित थे, परन्तु ₹3800 की ही वसूली गई–

क्र0सं0	नाम	विवाह दिनांक	पंजीकरण दिनांक	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि(₹)
1.	नरेश सिंह	25.04.2021	17.06.2021	400	200	200
2	सनी कुमार	08.05.2021	18.06.2021	400	200	200
3	सुखविंदर	26.04.2021	18.06.2021	400	200	200
4	अखिल चौधरी	02.05.2021	21.06.2021	400	200	200
5	संदीप	07.05.2021	21.06.2021	400	200	200

	कुमार					
6	परदीप कुमार	12.04.2021	28.06.2021	400	200	200
7	विवेक सिंह	22.05.2021	23.08.2021	400	200	200
8	विक्रम सिंह	20.11.2021	27.12.2021	400	200	200
9	राजिंदर सिंह	13.12.2021	20.01.2022	400	200	200
10	साहिल मेहरा	14.12.2021	26.03.2022	400	200	200
11	विजय कुमार	23.04.2022	26.05.2022	400	200	200
12	नित्तिन कुमार	21.04.2022	26.05.2022	400	200	200
13	अरूण कुमार	04.07.2022	18.08.2022	400	200	200
14	विश्वास ठाकुर	23.06.2022	01.08.2022	400	200	200
15	अकू	09.07.2022	12.08.2022	400	200	200
16	सचिन	05.08.2022	16.09.2022	400	200	200
17	राकेश	16.08.2022	02.10.2022	400	200	200
18	दयाल सिंह	05.08.2022	02.10.2022	400	200	200
19	विशाल थाप्पा	05.092022	24.11.2022	400	200	200
	जोड़			7600	3800	3800

उक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांकः 15/11/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत चड़ी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक

15.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय—समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235—00—800—03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत चड़ी द्वारा वर्ष 2021—22 व 2022—23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः—

क्र0सं0	वितीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021—22	3600
2	2022—23	1400
	जोड	5000

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांकः 15/11/2023 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत चड़ी के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 **क्रय किये गये सामान राशि ₹12.83 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना।:–**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चड़ी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–" 4"** पर संकलित राशि ₹12,83,097 के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांक: 15/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही हैं। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 **निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.57 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत चड़ी के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** में दिए गए विवरणानुसार ₹7,57,290/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांक: 15/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक

15.11.2023 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नही पाया गया है।

अतः नियमानुसार कार्यवाही अमल में न लाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹1.73 लाख की राजस्व हानि :–

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "6"** पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹1,72,600/– का अनियमित भुगतान किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांक: 15.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलो से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नही है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर

समुचित गणना कर उसकी भी नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹12.83 लाख अनियमित भुगतान करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही (संलग्न **परिशिष्ट "4"**) ₹12,83,097/– का भुगतान कर दिया गया था, जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांकः 15/11/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत चडी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15.11.2023 द्वारा सूचित किया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.5 उचित बिल के बिना रसीद पर ₹0.03 लाख का अनियमित व गलत भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य रोकड़बही के वाउचर संख्या शून्य दिनांक 22.7.2015 को तीसरा वित्त से हर्शित जम्वाल को ₹3299 का भुगतान साधारण रसीद पर किया गया दर्शाया है लेकिन रसीद में यह उल्लेखित नहीं है कि क्या कार्य किया गया था। कार्य विवरण के अभाव में उक्त किये गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/219 दिनांकः 15.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15/11/2023 द्वारा सूचित किया गया कि इससे संबंधित बिल को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 ₹ 19.24 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओ को प्रस्तुत न करने बारे:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹19,24,033/– के निमार्ण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	वी.एम.जे. एस	26/ निल	खाता निर्माण सिंचाई कुल्ह हाडा छोटी	127710
2	14वां वित	10,11/ 20.07.21	निर्माण कमरा पंचायत घर	14280
3	14वां वित	13/ 20.07.21	निर्माण कुल्ह डंगा रूल्ह कुल्ह बढी	11115
4	एस.डी.पी	63/ 27.01.23	निर्माण रास्ता लिंक रोड से नाले तक	33580
5	15वां वित	89/ 10.01.23	निर्माण बोबली टुनी के पेड से साथ खड वार्ड–5	18565
5	15वा वित	90/ 10.01.23	निर्माण नाला राम सिंह के घर से नाले तक	25184
6	15वां वित	91/ 10.01.23	निर्माण वाटर टैंक तल्ला वार्ड–1	27383
7	15वां वित	92/ 10.01.23	इंटरलॉक टाईल कुन्ती के घर से विकास कउशेड	12592
8	15वां वित	93/ 10.01.23	निर्माण बाबडी उणी वार्ड–1	16790
9	15वां वित	94/ 10.01.23	निर्माण रास्ता मनोज के घर से पंचम के घर तक वार्ड–8	16790
10	15वां वित	95/ 10.01.23	निर्माण नाली चमारू राम के घर से ईश्वरदास,मेहरा के घर तक वार्ड–6	16790

11	15वां वित	96 / 10.01.23	निर्माण नाली पवन के घर से संजय के घर तक वार्ड–8	16790
12	15वां वित	97 / 10.01.23	निर्माण बोबली टुनी के पेड के साथ खड	37440
13	15वां वित	97 / 11.01.23	वाटरकुलर डिसपेन्सर	115795
14	15वां वित	100,101 / 13.01.23	निर्माण कुल्ह बुद्वि सिंह की जमीन से सुभाष के घर तक वार्ड–7	66300
15	15वां वित	105 / 23.01.23	निर्माण शमशानघाट श्रोट वार्ड–6	23400
16	15वां वित	106 / 27.01.23	निर्माण बाबडी वार्ड–4	10494
17	15वां वित	107 / 27.01.23	मुरम्म्त रास्ता माया देवी की गौशाला से महिन्द्र के घर तक	16790
18	मनरेगा	50,51,54 / 22.07.21	निर्माण जीप रोड महिला मंडल से संजय, विनय के घर तक	83242
19	मनरेगा	35 / 06.07.21	निर्माण भूमि सुधार कार्य बिदूराम, करनेल, सुभाष जमीन	39994
20	मनरेगा	36 / 06.07.21	नि0 कुल्ह सडक पुली से चम्बीमाता गेट तक	32635
21	मनरेगा	37,47,48 / 06.07.21	नि0 लिंक रोड चौक से श्री पेड तक	117733
22	मनरेगा	38 / 06.07.21	नि0 कुल्ह नियर डुमणु राम जमीन	18450
23	मनरेगा	39 / 06.07.21	नि0 रास्ता शमशेर घर से पहलाद घर तक	47895
24	मनरेगा	49 / 06.07.21	नि0 लिंक रोड जोगिन्द्र घर से चौक तक	47395
25	मनरेगा	41 / 06.07.21	नि0 नाली भुवनेश जमीन से अशोक जमीन	51060
26	मनरेगा	42 / 06.07.21	नि0 कुल्ह कृष्ण मेहरा जमीन से रमेश प्रकाश	55630
27	मनरेगा	43 / 06.07.21	नि0 लिंक रोड से अजीत,रवि घर तक	16471
28	मनरेगा	44 / 06.07.21	नि0 कुल्ह अमी चन्द जमीन से लोकेश कटोच जमीन तक	41943

29	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 कुल्ह प्यार सिंह घर से मशीन तक	60490
30	मनरेगा	निल / 06.07.21	जीप रोड अमर सिंह राणा के घर से उपेन्द्र, भुनिन्द्र घर तक	72200
31	मनरेगा	निल / 06.07.21	भूमि सुधार कार्य रमेश राणा, जोगिन्द्र	55745
32	मनरेगा	निल / निल	नि0 भूमि सुधार दिवार नजदीक जोगिन्द्र, रमेश, रवि भूमि	46250
33	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 मोक्षधाम नजदीक कुट	49940
34	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 रास्ता विनय घर से श्री पेड तक	39995
35	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 सडक चम्बीमाता से रली के बाग	75325
36	मनरेगा	निल / 06.07.21	कच्चा लिंक रोड खड से जनेरा तक	49995
37	मनरेगा	निल / 06.07.21	कच्चा जीप रोड मेन सडक से उर्मीला, प्रकाश भूमि	12750
38	मनरेगा	निल / 06.07.21	कच्चा जीप रोड श्याम गोशामी के घर से माधो घर तक	19500
39	मनरेगा	निल / 06.07.21	भूमि सुधार कार्य कृष्णा देवी	30750
40	मनरेगा	निल / 09.07.21	नि0 रास्ता चिल्र्डन पार्क से जीवन के घर तक	23139
41	मनरेगा	निल / 11.01.23	जीपरोड रमेश के घर से परस राम केघर तक	52468
42	मनरेगा	निल / 17.01.23	जीप रोड राज कुमार गुप्ता के घर से नरेश के घर तक	46142
43	मनरेगा	निल / 20.01.23	जीप रोड मेन रोड से टुणी पेड तक	21624
44	मनरेगा	निल / 04.01.23	जीप रोड टांसफार्म से श्री पेड तक वार्ड–1	56816
45	मनरेगा	निल / 04.01.23	जीप रोड स्कूल से ओई पेड तक वार्ड–1	50668
			कुल योग	**1924033**

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत चढी से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 219 दिनांक: 15 / 11 / 2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15 / 11 / 2023 द्वारा कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या–9 में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नही बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के **"परिशिष्ट –ई"** में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।
2. हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चड़ी द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के उप नियम 93 की अवहेलना है।
3. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।
4. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।
5. निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस.रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2023/219 दिनांक: 15/11/2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत चड़ी को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अन्तर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–215 दिनांक: 06/11/2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15/11/2023 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5.	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–215 दिनांकः 06/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा प्रस्तुत प्रत्युतर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत्त करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

13.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत चडी द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत चडी के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–219 दिनांक: 15/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 77 दिनांक 15/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य मे वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने की अनुपालना की जायेगी।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिका:–** लघु आपतियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्ष:–** लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

06 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का॰/प्रति

254 – 258

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)77 / 2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला कॉंगडा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का॰/प्रति

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP CHARI FOR THE YEAR 2021-22 &2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1209333	503217	1712550	519016	1193534
2022-23	1193534	434341	1627875	422360	1205515

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1311361	6502554	7813915	5100868	2713047
2022-23	2713047	9492751	12205798	10378152	1827646

Rahul (Junior Auditor)

24

ANNEXURE – 2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS-IN -AID OF GP CHARI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCES
VMJS/VKVNY/SDP/SK RELIEF	2021-22	256743	366917	623660	816622	-192962
	2022-23	-192962	1301695	1108733	1088668	20065
TSC	2021-22	113673	1479	115152	44260	70892
	2022-23	70892	576	71468	38486	32982
IAY	2021-22	443	16	459	0	459
	2022-23	459	13	472	0	472
AAY	2021-22	662	20	682	0	682
	2022-23	682	15	697	0	697
14TH FC	2021-22	106223	45958	152181	141327	10854
	2022-23	10854	0	10854	0	10854
14TH/15TH FC	2021-22	833617	2070167	2903784	80662	2823122
	2022-23	2823122	1773163	4596285	2833709	1762576
MGNREGA	2021-22	0	4017997	4017997	4017997	0
	2022-23	0	6417289	6417289	6417289	0

Rahul
(Junior Auditor)

25

ग्राम पँचायत चड़ी विकास खण्ड रैत, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश– 176217 (परिशिष्ट–" 3 " पैरा सख्यां " 7.1 " के सन्दर्भ में)

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 तथा 2022–23 में 1050 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से–

वितीय वर्ष	अग्रशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	0	1050	50	52500	52500	39150	13350
2022-23	13350	1050	50	52500	65850	6100	59750
	नोटः– दिनांक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹ 59750/– है।						

Rahul
(Junior Auditor)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चड़ी
वि.ख. रैत जिला कांगड़ा हि.प्र.

परिशिष्ट–" 4 "

ग्राम पंचायत चड़ी विकास खण्ड रैत , जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व संयुक्त हसताक्षर के विना भुगतान करना। पैरा संख्या– " 81 " में संदर्भित।

अनुदान	वो.स. / दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. / दिनांक	मात्रा / रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹
1. सभा निधि	14 / निल	सेनेटाईजर खरीद	142 / 04.03.21	-	मै० मीरा मा ऐंटरप्राईज रेहलू रोड शाहपुर	4800
2. सभा निधि	15 / निल	साईन बोर्ड	निल / 22.07.21	10@500	मै० अनिल पेंटर चड़ी	5000
3 सभा निधि	19 / निल	स्टेशनरी	962 / 05.07.2021	-	मै० महेश्शवरी प्रिंटिंग प्रैस रैत	3105
4 सभा निधि	20 / निल	स्टेशनरी	963 / 07.07.2021	-	मै० महेश्शवरी प्रिंटिंग प्रैस रैत	2841
5 सभा निधि	21 / निल	चाय समोसे	निल	510@10 510@10	मै० बहादुर सिंह चड़ी	10200
6 सभा निधि	24 / निल	कार्यालय व्यय	197 / निल	-	मै० सतीस बुक हाउस रजोल	1500
7.वी.एम.जे एस	26 / निल	रेत बजरी टेक्टर ढुलायी	171 / 15.06.2021	800cft@35.70 2200cft@29 25 N0@750	मै० शैलेन्द राणा चड़ी शाहपुर	28560 63800 18750
8.14वां वित	08 / 20.07.21	स्टेशनरी	498 / 20.01 2021	-	मै० विजय जनरल स्टोर शाहपुर	1500
9.14वां वित	09 / 20.07.21	परिवार रजिस्टर	491 / 20.01 2021	-	मै० विजय जनरल स्टोर शाहपुर	2000
10 14वां वित	10 / 20.07.21	रेत	143 / 01.06.21	200cft@35.70	मै० शैलेन्द राणा चड़ी शाहपुर	7140
11 14वां वित	11 / 20.07.21	रेत	144 / 01.06.21	200cft@35.70	मै० शैलेन्द राणा चड़ी शाहपुर	7140
12 14वां वित	12 / निल	कम्पयुटर मुरम्मत	598 / 05.06.21	-	मै० नरदेव कुमार लदवाड़ा शाहपुर	4450
13 14वां वित	13 / 20.07.21	रेत बजरी	188 / 10.06.21	150cft@35.70 200cft@29	मै० शैलेन्द राणा चड़ी शाहपुर	5355 5800

Rahul
(Junior Auditor)

प्रधान/सचिव
ग्रा० पंचायत चड़ी
वि० ख० रैत जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

(27)

14.एस.डी पी	63 / 27.1.23	सीमेंट बैग	68916 / 27.1.23	80@419.74	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई पुहाडा	33580
15.सभा निधि	64 / 27.1.23	शौचालय फिटिंग सामान	173 / 19.12.2022		मै0 धीमान हार्डवेयर स्टोर घट्टी	4650
16. 15वां वित	99 / 11.1.23	वाटर कूलर	853 से 861 / 01.12.22	09@12755	मै0 हिमाचल टेडर्स हाउस शाहपुर	114795
17. 15वां वित	100 / 13.01.23	रेत बजरी कट स्टोन	436 / 07.04.22	250cft@42 500cft@36 130 No@25	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	10500 18000 3250
18. 15वां वित	101 / 13.01.23	स्पोर्टस किट	163,164 / 07.01.23		मै0 के0 रीत स्पोर्टस हब 39 मील शाहपुर	50000
19.मनरेगा	54 / 05.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	145 / 05.07.21	325cft@35.70 615cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	11603 17835 1000
20.मनरेगा	35 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	133 / 05.04.21	400cft@35.70 660cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	14280 19140 1000
21.मनरेगा	36 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	132 / 05.04.21	300cft@35.70 660cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	10710 19140 1000
22.मनरेगा	37 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	136 / 20.05.21	600cft@35.70 1000cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	21420 29000 1000
23.मनरेगा	38 / 06.07.21	रेत, बजरी	141 / 20.05.21	200cft@35.70 390cft@29	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	7140 11310
24.मनरेगा	39 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	140 / 20.05.21	550cft@35.70 940cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	19635 27260 1000
25.मनरेगा	40 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	139 / 05.05.21	300cft@35.70 750cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	10710 21750 1000
26.मनरेगा	41 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	138 / 05.05.21	300cft@35.70 700cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	10710 20300 1000
27.मनरेगा	42 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	137 / 05.05.21	400cft@35.70 750cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा घट्टी शाहपुर	14280 21750 1000

Rahul
(Junior Auditor)

28

28.मनरेगा	43 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	135 / 05.05.21	130cft@35.70 270cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा चढ़ी शाहपुर	4641 7830 1000
29.मनरेगा	44 / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	134 / 20.05.21	490cft@35.70 700cft@29 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा चढ़ी शाहपुर	17493 20300 1000
30.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	90 / 05.09.20	500cft@35 1200cft@30 1No@3000	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	17500 36000 3000
31.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	94 / 05.10.20	700cft@35 1357cft@30 1No@3000	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	24500 40710 3000
32.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	95 / 10.09.20	530cft@35 1150cft@30 1No@1000	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	18550 34500 1000
33.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	98 / 10.09.20	450cft@35 900cft@30 1No@2000	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	15750 27000 2000
34.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	113 / 06.09.20	430cft@35 830cft@30 1No@3000	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	15050 24900 3000
35.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	115 / 05.10.20	400cft@35 750cft@30 1No@1500	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	14000 22500 1500
36.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	100 / 08.11.20	730cft@35 1300cft@30 1No@3000	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	25550 39000 3000
37.मनरेगा	निल / 06.07.21	बोल्डर	110 / 05.09.20	3333sqf@15	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	49995
38.मनरेगा	निल / 06.07.21	बोल्डर	119 / 20.11.20	850sqf@15	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	12750
39.मनरेगा	निल / 06.07.21	बोल्डर	120 / 20.11.20	1300sqf@15	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	19500
40.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत पत्थर साईन बोर्ड	36 / 20.09.20	350cft@35 1200@15 1No@500	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चढ़ी	12250 18000 500
41.मनरेगा	निल / 19.07.21	सीमेंट बैग	837 / 20.09.20	70@330.55	मै0 हिं0प्र0 सिविल सप्लाई पुखड़ा	23139
				कुल जोड़		1283097

Checked 3/2021 Sr. Auditor

Rahul
(Junior Auditor)
3

सचिव
ग्राम पंचायत चढ़ी

29

परिशिष्ट–"5"

ग्राम पंचायत चड़ी विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।(पैरा स्ख्या– '8.2' में संदर्भित) तथा संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना।

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹
1. सभा निधि	14/निल	सेनेटाईजर खरीद	142/ 04.03.21	-	मै0 मीरा मा एंटरप्राईज रेहलू रोड शाहपुर	4800
2. सभा निधि	15/निल	साईन बोर्ड	निल/ 22.07.21	10@500	मै0 अनिल पेंटर चड़ी	5000
3 सभा निधि	19/निल	स्टेशनरी	962/ 05.07.2021	-	मै0 महेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस रैत	3105
4 सभा निधि	21/ निल	चाय समोसे	कच्चा	510@10 510@10	मै0 बहादुर सिंह चड़ी	10200
5.पी.एम जे.एस	26/ निल	टेक्टर ढुलवाई साईन बोर्ड	171/ 15.06.2021	25 NO@750 1@1100	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	18750 1100
6.14वा वित	12/निल	कम्पयुटर मुरम्मत	596/05.06.21	-	मै0 नरदेव कुमार लदवाड़ा शाहपुर	4450
7.सभा निधि	64/ 27.1.23	शौचालय फिटिंग समान	173/ 19.12.2022	-	मै0 धीमान हार्डवेयर स्टोर चड़ी	4650
8.15वां वित	89/10.01.23	रेत बोल्डर शटरिंग	435/05.04.22	170cft@42 325sqft@25 150sqft@25	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	7140 8125 3750
9.15वां वित	97/11.01.23	तरपाल	4177/02. 01.23	30@200	मै0 अशोक विजय कुमार जरनल मरचेंट एंड स्टेनशर शाहपुर	6000
10. 15वां वित	99/ 11.1.23	वाटर कुलर	853 से 861/ 01.12.22	09@12755	मै0 हिमाचल टेंडर हाउस शाहपुर	114795
11. 15वां वित	101/13.01.23	स्पोर्टस किट	163,164/07. 01.23	-	मै0 के0 सी0 स्पोर्टस हब जा मील शाहपुर	50000
12. 15 वां वित	109/27.01. 23	स्टेशनरी	1471/20. 01.23	-	मै0 महेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस रैत	5500
13.मनरेगा	54/05.07.21	सीमेंट ढुलवाई साईन बोर्ड	145/05.07.21	80@20 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	1600 1000
14.मनरेगा	35/06.07.21	सीमेंट ढुलवाई साईन बोर्ड	133/05.04.21	64@30 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	1920 1000

Rahul
(Junior Auditor)

प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत चड़ी
वि0 ख0 रैत जिला कांगड़ा हि0 प्र0

-35/ 20

15.मनरेगा	37 / 06.07.21	सीमेंट ढुलवाई साईन बोर्ड	133 / 05.04.21	175@30 1No@1000	मै0 शैलेन्द्र राणा नदी शाहपुर	5250 1000
16.मनरेगा	49 / 06.07.21	सीमेंट ढुलवाई साईन बोर्ड शटरिंग	139 / 05.05.21	105@30 1No@1000 500 sqf@18	मै0 शैलेन्द्र राणा सदी शाहपुर	3150 1000 9000
17.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	90 / 05.09.20	500cft@35 1200cft@30 1No@3000	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	17500 36000 3000
18.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	94 / 05.10.20	700cft@35 1357cft@30 1No@3000	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	24500 40710 3000
19.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	95 / 10.09.20	530cft@35 1150cft@30 1No@1000	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	18550 34500 1000
20.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	98 / 10.09.20	450cft@35 900cft@30 1No@2000	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	15750 27000 2000
21.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	113 / 05.09.20	430cft@35 830cft@30 1No@3000	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	15050 24900 3000
22.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	115 / 05.10.20	400cft@35 750cft@30 1No@1500	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	14000 22500 1500
23.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत बजरी साईन बोर्ड	100 / 08.11.20	730cft@35 1300cft@30 1No@3000	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	25550 39000 3000
24.मनरेगा	निल / 06.07.21	बोल्डर	110 / 05.09.20	3333sqf@15	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	49995
25.मनरेगा	निल / 06.07.21	बोल्डर	119 / 20.11.20	850sqf@15	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	12750
26.मनरेगा	निल / 06.07.21	बोल्डर	120 / 20.11.20	1300sqf@15	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	19500
27.मनरेगा	निल / 06.07.21	रेत पत्थर साईन बोर्ड	06 / 20.09.20	350cft@35 1200@15 1No@500	मै0 स्नेह लता गुडस कैरियर सदी	12250 18000 500
					कुल जोड़	757290

(Junior Auditor)

परिशिष्ट-6

ग्राम पंचायत चड़ी द्वारा खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा–"8.3" के सन्दर्भ में)

क्र.	आपूर्तिकर्ता का नाम	वा0स0/दि0/वि0स0	मद का नाम	मात्रा (cft/sq.ft)	मात्रा (Cu.m)	निर्धारित फैकटर	मात्रा मी0टन (MT)	रोयल्टी प्रति (MT)	राशि (₹)
	2021–22 , 2022–23								
	अनुदान – वी.एम.जे.एस,14वां वित, 15वां वित, मनरेगा								
1.	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	26,11,13,89,100,105,54,35,36 37,38,39,49,41,42,43,44,निल/निल,20.07.21,10.01.23,13.01.23,23.01.23,05.07.21,06.07,21,12.01.23,20.01.23/171,144,168,436,444,145,133,132,136,141,140,139,138,137,135,134,433,439,438	रेत बजरी बोल्डर	6740 12580 325	191 356 9	1.62 1.52 2.24	309 541 20	80 80 80	24720 43280 1600
								जोड़	69600
								पेनल्टी 25 %	17400
								जोड़	87000
	2021–22 ,2022–23								
	अनुदान– मनरेगा								
2.	मै0 सनेह लता गुडस कैरियर चड़ी	निल/06.07.21/90,94,95,98,113,115,100,110,119,120,36	रेत बजरी बोल्डर	4090 7487 5483	116 212 155	1.62 1.52 2.24	187 322 347	80 80 80	14960 25760 27760
								जोड़	68480
								पेनल्टी 25 %	17120
								जोड़	85600
								कुल जोड़(1+2)	172600

(32)

Rahul
(Junior Auditor)

प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत चड़ी